रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2015/श्रावण 7, 1937
No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2015/SHRAVANA 7, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 594(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन, पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.26) को विस्तारित करती है, जैसाकि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, अर्थात्:—

आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, ''पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011'' शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के बाद ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
2. धारा 2 का लोप किया जाएगा।
3. धारा 4 का लोप किया जाएगा।
4. धारा 6 का लोप किया जाएगा।

अनुलग्नक

पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011

(वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.26)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 6 में संशोधन.—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (यहां इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में, धारा 6 में, उप-धारा 6 के बाद निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी अर्थात्:—

"(7) उप-धारा (1) से उप-धारा (6) तक में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जाए तथा अधिसूचित की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर ऐसी दरों पर, जो अधिसूचित की जाएं, किंतु जो अधिनियम के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों से अधिक न हों, अग्रिम रूप में कर वसूल करेगी।

परंतु यह कि ऐसी वस्तुएं बिक्री के लिए या बिक्री के लिए किसी वस्तु के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के निमित्त हों;

परंतु आगे यह भी कि अग्रिम रूप में संग्रहित ऐसे कर की गणना प्रत्येक कर अवधि के अंत में कर योग्य व्यक्ति की अंतिम देनदारी के रूप में की जाएगी।

(8) स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश संबंधी पंजाब कर अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का पंजाब अधिनियम सं.9) के अंतर्गत संग्रहित कर उप-धारा (7) के प्रावधानों के अधीन संग्रहीत माना जाएगा।"

3. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 8 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 8 में, उप-धारा (1) में, परंतुक में, "चार प्रतिशत या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 13 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 13 में, उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(1-क) धारा 6 की उप-धारा (7) के अंतर्गत अग्रिम रूप में संग्रहीत कर को, इन्पुट कर क्रेडिट के रूप में माना जाएगा"।

5. **वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 62 में संशोधन.**—मूल अधिनियम में, धारा 62 में, उप-धारा (5) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"(5) किसी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी अपील के साथ अतिरिक्त मांग, शास्ति एवं ब्याज, यदि कोई हो, की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत के पूर्व न्यूनतम भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "अतिरिक्त मांग" से कोई ऐसा कर अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.74) के किन्हीं उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप अधिरोपित किया गया हो।"

6. **निरसन एवं बचत.**—(1) पंजाब 'मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अध्यादेश सं.9) और पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अध्यादेश सं. 10) को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, मूल अधिनियम, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित, के अंतर्गत किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई को मूल अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

[फा. सं. यू 11020/5/2014-यू टी एल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2011 (Punjab Act No.26 of 2011), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of section 1, after the words, brackets and figures "the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2011, the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.
2. Section 2 shall be omitted.
3. Section 4 shall be omitted.
4. Section 6 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2011

(Punjab Act No.26 of 2011)

1. ***Short title and commencement.*—** (1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 6 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the Punjab Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 6, after sub-section (6), the following sub-sections shall be added, namely:-

"(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section(6), the State Government shall charge the tax in advance on the import of goods to be notified in such manner, as may be prescribed, and at such rates, as may be notified, but not exceeding the rates applicable on such goods under the Act:

Provided that such goods are meant for sale or use in manufacturing or processing of any goods for sale;

Provided further that such tax collected in advance, shall be counted towards final liability of the taxable person at the end of each tax period.

(8) The tax collected under the Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2000 (Punjab Act No.9 of 2000), shall be deemed to have been collected under the provisions of sub-section (7)."

3. Amendment of section 8 of Punjab Act 8 of 2005.—In the principal Act, in section 8, in sub-section (1), in the proviso, the words "four per cent or" shall be omitted.

4. Amendment of section 13 of Punjab Act 8 of 2005.—In the principal Act, in section 13, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1-A) The tax collected in advance under sub-section (7) of section 6, shall be treated as input tax credit."

5. Amendment of section 62 of Punjab Act 8 of 2005.—In the principal Act, in section 62, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(5) No appeal shall be entertained, unless such appeal is accompanied by satisfactory proof of the prior minimum payment of twenty-five per cent of the total amount of additional demand, penalty and interest, if any.

Explanation- For the purposes of this sub-section "additional demand" means any tax imposed as a result of any order passed under any of the provisions of this Act or the rules made there under or under the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No.74 of 1956)".

6. Repeal and saving.—(1) The Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Ordinance, 2011 (Punjab Ordinance No.9 of 2011) and the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Ordinance, 2011 (Punjab Ordinance No.10 of 2011), are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal act, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

[F. No. U-11020/5/2014-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 595(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.27) को विस्तारित करती है, जैसा कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, अर्थात्:—

आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2011" शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के बाद "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

अनुलग्नक

पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2011

(वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.27)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 17 में संशोधन.—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (यहां इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में, धारा 17 के मौजूदा उपबंध को उसकी उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

"(2) जहां कोई कर योग्य वस्तुएं विशेष आर्थिक जोन के भीतर किसी यूनिट को या किसी डेवलपर को बेची जाती हैं या जहां विशेष आर्थिक जोन के भीतर वस्तुओं का कोई अन्तर-यूनिट कारोबार किया जाता है, वहां ऐसी बिक्रियों की दर शून्य (जीरो-रेटेड) होगी। ऐसी बिक्री पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आउटपुट कर देय नहीं है"

परंतु यह कि शून्य-दर (जीरो-रेटेड) वाली बिक्री करने वाला कोई कर योग्य व्यक्ति ऐसी बिक्री के संबंध में इन्पुट कर क्रेडिट के लिए पात्र होगा:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त यूनिट या किसी डेवलपर को की गई बिक्री या कोई अंतर यूनिट कारोबार, ऐसे प्रारूप में, जो निर्धारित किया जाए, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन जीरो-रेटेड होगा।

3. जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई यूनिट सीधे ग्राहक को बिक्री करती है, वहां उप-धारा(2) में विनिर्दिष्ट जीरो-रेटेड बिक्रियों के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:-

(i) शब्द "यूनिट" और "विशेष आर्थिक जोन" के वही अर्थ होंगे जो पंजाब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का पंजाब अधिनियम सं.17) में इन शब्दों के लिए दिए गए हैं;

(ii) "डेवलपर" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें कंपनी, फर्म या सरकारी उपक्रम शामिल हैं, अभिप्रेत है जो विशेष आर्थिक जोन में आंशिक या पूर्ण अवसंरचना और अन्य सुविधाएं स्थापित, निर्मित, संस्थापित, प्रचालित करता है, अनुरक्षित करता है या उनका प्रबंधन करता है।"

3. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 27 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 27 में, "चार प्रतिशत" शब्द जहां कहीं आए हैं, वहां उनके लिए "पांच प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू 11020/5/2014-यू टी एल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2011, (Punjab Act No.27 of 2011), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of Section1, after the words, brackets and figures "the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2011", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

2. Section 3 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (Fourth AMENDMENT) ACT, 2011

(Punjab Act No.27 of 2011)

1 **Short title and commencement.—(**1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax Fourth Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 17 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the Punjab Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), the existing provision of section 17 shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(2) Where any taxable goods are sold to a unit within the Special Economic Zone or to a developer or where any inter-unit transaction of goods within the Special Economic Zone is made, such sales shall be zero-rated. On such sale, no output tax is payable by any person:

Provided that a taxable person making zero-rated sale shall be eligible for input tax credit in relation to such sale:

Provided further that the sale made to aforesaid unit or to a developer or an inter-unit transaction shall be zero-rated subject to production of certificate in such form as may be prescribed.

(3) Where any unit referred to in sub-section (2) makes sales directly to a customer, the provisions of zero-rated sales specified in sub-section (2) shall not be applicable.

Explanation.- (i) The expressions "unit" and "Special Economic Zone" shall have the same meaning as has been assigned to these expressions in the Punjab Special Economic Zone Act, 2009 (Punjab Act No. 17 of 2009);

(ii) "developer" means a person or a body of persons, including a company, a firm or a Government undertaking, which establishes, constructs, installs, operates, maintains or manages a part or whole of the infrastructure and other amenities in the Special Economic Zone."

3. **Amendment of section 27 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 27, for the words "four per cent", wherever occurring the words "five per cent" shall be substituted.

[F. No. U-11020/5/2014-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 596(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम; 2013 (वर्ष 2013 का पंजाब अधिनियम सं.28) को विस्तारित करती है, जैसाकि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, अर्थात्:—

आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, ''पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013'' शब्दों, अंकों एवं कोष्ठकों के बाद ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 3 द्वारा यथा अंत:स्थापित नई धारा 3-क में, ''राज्य सरकार'' शब्दों के लिए, ''प्रशासक'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुलग्नक

पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

(वर्ष 2013 का पंजाब अधिनियम सं.28)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2013 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 2 में संशोधन.—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (यहां इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में, धारा 2 में खंड (ञ) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ञञ) ''इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस'' से निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का उपयोग अभिप्रेत है-

(i) कोई फार्म, विवरणी, आवेदन, घोषणा या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना;

(ii) रिकॉर्डों का सृजन, प्रतिधारण या परिरक्षण;

(iii) सांविधिक फार्मों, आदेशों एवं प्रमाणपत्रों सहित कोई फार्म जारी करना या प्रदान करना; और

(iv) सरकारी खजाने या प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य भुगतान या उसके प्रतिदाय (रिफंड) की प्राप्ति''।

3. **वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम** 8 **में नई धारा** 3-**क का अंत:स्थापन**.—मूल अधिनियम में, धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"3-क इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का कार्यान्वयन .— इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त राज्य सरकार के अनुमोदन से आदेश द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को कार्यान्वित कर सकता है।''

4. **वर्ष** 2005 **के पंजाब अधिनियम** 8 **की धारा** 8 **में संशोधन**.—मूल अधिनियम में, धारा 8 में उप-धारा (1) में ''बत्तीस पैसे'' शब्दों के लिए, ''पचपन पैसे'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 27 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 27 में, ''पांच प्रतिशत'' शब्द जहां कहीं आए हैं, उनके लिए ''छह प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे''

6. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 51 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 51 में-

(क) उप-धारा (1) में, ''स्थान या स्थानों'' शब्दों के बाद, ''या ऐसे तरीके से'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) में-

(i) ''के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति'' शब्दों के बाद, ''वस्तु या'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) ''जो माल वाहन में ढ़ोए जा रहे हैं'' शब्दों के बाद ''या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, तथा

(iii) प्रथम परंतुक में, ''के क्रम में राज्य के बाहर'' शब्दों के बाद, ''अंतर राज्य या'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप-धारा (3) में, ''चालक या वस्तुओं का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति'' शब्दों के बाद, ''और वस्तु'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(घ) उप-धारा (4) में, उपबंध के सिवाय-

(i) "के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति" शब्दों के बाद, "वस्तु और" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) "के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को उसके द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित घोषणा" शब्दों के बाद, "वस्तु और" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ड.) उप-धारा (5) में, "के चालक या स्वामी" शब्दों के बाद, "वस्तु और" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू 11020/5/2014-यू टी एल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2013, (Punjab Act No.28 of 2013), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of section 1, after the words, figures and brackets "the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2013", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.
2. In the new section 3-A as inserted by section 3, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.

ANNEXURE

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013

(Punjab Act No. 28 of 2013)

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

   (2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 2 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the Punjab Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

   "(jj) "electronic governance" means for use of electronic medium for.-

   (i) filing of any form, return, application, declaration or any other document;

   (ii) creation retention or preservation of records;

   (iii) issue or grant of any form including statutory forms, orders and certificates; and

   (iv) receipt of tax, interest, penalty or any other payment or refund of the same through Government treasury or authorized banks."

3. **Insertion of new section 3-A in Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, after section 3, the following section shall be inserted, namely:-

   "3-A. Implementation of electronic governance.— Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder the commissioner may by an order with the approval of the State Government implement electronic governance for carrying out the various provisions of the Act and the rules made there under."

4. **Amendment of section 8 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 8, in sub-section (I), for the words "thirty two paise", the words "fifty five paise" shall be substituted.

5. **Amendment of section 27 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 27, for the words "five per cent" wherever occurring, the words "six per cent" shall be substituted.

6. **Amendment of section 51 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 51.-

   (a) in sub-section (1), after the words, "place or places", the words "or in such manner" shall be inserted;

   (b) in sub-section (2).-

(i) after the words "The owner or person Incharge of", the words "the goods or" shall be inserted.

(ii) after the words "as are being carried in the goods vehicle", the words "or by any other means" shall be inserted, and

(iii) in the first proviso, after the words "outside the State in the course of", the words "intrastate or", shall be inserted.

(c) in sub-section (3), after the words "the driver or any other person Incharge of the goods", the words "and goods" shall be inserted;

(d) in sub-section (4), excepting the provision.-

(i) after the words "The owner or person Incharge of", the words "the goods and" shall be inserted; and

(ii) after the words "the declaration duly verified by him to the owner or person Incharge of", the words "the goods and" shall be inserted;

(e) in sub-section (5), after the words "the driver or the owner of", the words "the goods and" shall be inserted.

[F. No. U-11020/5/2014-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.